रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2006/आषाढ़ 15, 1928

No. 298] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2006/ASADHA 15, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2006

सा.का.नि. 403(अ).—बोर्ड, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमास्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप-धारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में, विनियम 6 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) आवेदन के साथ संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस किसी ऐसे संगठन के लिए जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या मुख्यालय शहरी क्षेत्र में है, दो हजार रुपए होगी और किसी ऐसे संगठन के लिए जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, एक हजार रुपए होगी।"।

[फा. सं. 1-5/2005-एन आई.II]

जी. एन. पेगु, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 579(अ), तारीख 3 अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 123(अ), तारीख 16 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2006

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 35 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Board of the Trust Regulations, 2001, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Board of the Trust (Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of the Trust Regulations, 2001, for sub-regulation (3) of Regulation 6, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(3) The registration fee payable with the application shall be rupees two thousand for an organisation having its registered or head office in the urban area and rupees one thousand for an organisation having its registered or head office in the rural area.".

[No. F. 1-5/2005-NI. II]

G. N. PEGU, Jt. Secy.

Note : The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 579(E), dated 3rd August, 2001 and subsequently amended vide number G.S.R. 123(E), dated 16th February, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.